भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5049

सोमवार, 23 मार्च, 2026/ 02, चैत्र, 1948 (शक)

कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों की स्थापना

†5049. श्री के. सी. वेणुगोपालः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार अनौपचारिक श्रम क्षेत्र के श्रमिकों, जिनमें नारियल-जटा और मत्स्ययन क्षेत्र के श्रमिक भी शामिल हैं, की अत्यधिक संख्या को देखते हुए अलप्पुझा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) औषधालयों की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), संबंधित राज्य सरकारों की सहमति से नए औषधालय खोलने के लिए अनुमोदन प्रदान करता है, क्योंकि औषधालयों का संचालन और प्रबंधन, संबंधित राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 58 के उपबंध के अनुसार किया जाता है, जिसे अब सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में समाविष्ट किया गया है।

अलप्पुझा जिले में नया औषधालय स्थापित करने के लिए केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

वर्तमान में, अलप्पुझा जिले में बीमित व्यक्तियों और उनके परिवारों को अलेप्पी में 55 बिस्तरों वाले ईएसआई अस्पताल और अलप्पुझा जिले में 14 ईएसआई औषधालयों के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
